संख्या-10/2026/आई/1404454/2026/5-1099/20/2026-1-

प्रेषक,

रवि रंजन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 22 जुलाई, 2026

विषय- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित पी0आई0एल0 संख्या- 3409/2025 श्री अंकित कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 05 अन्य के क्रम में मानसिक चिकित्सालय, बरेली एवं मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी के लिये पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11फ/प्रस्ताव/2025-26/2142, दिनांक 02.02.2026 एवं पत्र संख्या-11फ/प्रस्ताव/2025-26/7758, दिनांक 30.05.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 31.05.2007 के अनुसार मानसिक चिकित्सालय, बरेली के लिये कुल 65 नियमित पदों के सृजन एवं चतुर्थ श्रेणी के 21 पदों के सापेक्ष सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से 21 कर्मियों की सेवा मानव सम्पदा के समतुल्य जॉब आउटसोर्सिंग किये जाने तथा मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी के लिये कुल 15 नियमित पदों के सृजन एवं चतुर्थ श्रेणी के 06 पदों के सापेक्ष सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से 06 कर्मियों की सेवा मानव सम्पदा के समतुल्य जॉब आउटसोर्सिंग किये जाने, इस प्रकार दोनों चिकित्सालयों के लिए कुल (65 +15) = 80 नियमित पदों के सृजन एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल (21 +06) = 27 पदों के सापेक्ष सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से कर्मियों की सेवा मानव सम्पदा के समतुल्य जॉब आउटसोर्सिंग किये जाने, जिनका विवरण नीचे अंकित है, को अस्थायी रूप से आदेश निर्गत होने की तिथि से 28.02.2027 तक के लिये, बशर्ते इन पदों को पहले ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, निम्नलिखित शर्तों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(क) मानसिक चिकित्सालय, बरेली

नियमित वेतनमान में नियमित पदों का सृजन

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान/ग्रेड वेतन (रु0 में)	स्वीकृत पदों की संख्या
1	मानसिक स्वास्थ्य व्यवसायिक सहायक (Occupational Therapist)	9300-34800/4200 वेतन मैट्रिक्स लेवल-6	01

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2	मनौवैज्ञानिक (Clinical Psychologist)	9300-34800/4600 वेतन मैट्रिक्स लेवल-7	02
3	मनश्चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता (Psychiatric Social Worker)	9300-34800/4600 वेतन मैट्रिक्स लेवल-7	02
4	नर्सिंग आफिसर (Nursing Officer)	9300-34800/ 4600	50
5	मान्यता प्राप्त डिग्रीधारक चिकित्साधिकारी (एम.बी.बी.एस. चिकित्सक)	15600-39100/5400	10
	कुल नियमित पद :-		**65**
सेवा प्रदाता के माध्यम से क्रय किये जाने वाले सेवाओं/कार्यों की प्रकृति			
6	परिचारक (पुरुष + महिला)		**21** (कार्मिकों के मानव सम्पदा के समतुल्य जॉब आउटसोर्सिंग आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से)

<u>(ख) मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी</u>

<u>नियमित वेतनमान में नियमित पदों का सृजन</u>

क्र0सं0	**पदनाम**	**वेतनमान/ग्रेड वेतन**	**स्वीकृत पदों की संख्या**
1	मानसिक स्वास्थ्य व्यवसायिक (Occupational therapist)	9300-34800/4200 वेतन मैट्रिक्स लेवल-6	01
2	मनौवैज्ञानिक (Clinical Psychologist)	9300-34800/4600 वेतन मैट्रिक्स लेवल-7	01
3	मनश्चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता (Psychiatric Social Worker)	9300-34800/4600 वेतन मैट्रिक्स लेवल-7	02
4	नर्सिंग आफिसर (Nursing Officer)	9300-34800/ 4600	03
5	मान्यताप्राप्त डिग्रीधारक चिकित्साधिकारी (एम.बी.बी.एस. चिकित्सक)	15600-39100/5400	08
	कुल नियमित पद		**15**

http://shasanadesh.up.gov.in

सेवा प्रदाता के माध्यम से क्रय किये जाने वाले सेवाओं/कार्यों की प्रकृति			
6	परिचारक (पुरुष + महिला)		**06** (कार्मिकों के मानव सम्पदा के समतुल्य जॉब आउटसोर्सिंग आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से)

(1) उक्त स्वीकृत किये जा रहे सभी पद अस्थायी हैं तथा 28.02.2027 तक की अवधि के लिये इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि अथवा इन पर नियुक्ति की तिथि जो भी बाद में हो, से इस प्रतिबन्ध एवं शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाते हैं, बशर्ते कि इन पदों को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

(2) उक्त सभी पद चिकित्सा विभाग के सम्बन्धित संवर्ग में अस्थायी वृद्धि के रूप में माने जायेंगे तथा इन पदधारकों को समय-समय पर अनुमन्य वेतन तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

(3) **मानसिक स्वास्थ्य व्यवसायिक (Occupational therapist)** के पद को इण्टरमीडिएट (विज्ञान)/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा 02 वर्ष का फीजियो/आकुपेशनल थेरेपिस्ट का डिप्लोमा की अर्हता वाले अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा। फीजियो/आकुपेशनल थेरेपिस्ट के पद पर संबंधित ट्रेड में 04 वर्षीय डिग्रीधारक अभ्यर्थियों से भर्ती पर इस प्रतिबंध के साथ विचार किया जायेगा कि मात्र पदधारक की उच्च अर्हता के आधार पर उच्च वेतनमान की मांग विचारणीय न होगी।

(4) मनौवैज्ञानिक (Clinical Psychologist) के पद को शैक्षिक अर्हता मनोवैज्ञानिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि की अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

(5) **मनश्चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता (Psychiatric Social Worker)** के पद को शैक्षिक अर्हता सोशल वर्कर/साइकोलाजी/समाज शास्त्रीय विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं कम्प्यूटर संचालन का व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों से शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जायेगी।

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित पद मानकों तथा न्यूनतम वास्तविक कार्यात्मक आवश्यकता, वित्तीय औचित्य एवं मितव्ययिता के सामान्य नियमों तथा विभागीय स्थिति के दृष्टिगत पदों पर नियुक्ति/भर्ती प्रारंभ की जाएगी तथा सामान्य वित्तीय अनुशासन एवं प्रबंधन का ध्यान रखा जायेगा।

(7) नियमित पदों पर भर्ती की कार्यवाही सम्बन्धित संवर्ग कि सेवा नियमावलियों एवं उसमें निर्धारित अर्हताओं तथा शासनादेशों कि व्यवस्थाओं के अनुसार की जायेगी। पदनाम/वेतनमान/भर्ती के स्रोत इत्यादि के सम्बन्ध में स्वयं भी संतुष्ट हो लेंगे।

(8) अस्थाई पदों की निरन्तरता/स्थायीकरण का प्रस्ताव शासन को समयान्तर्गत एवं नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में इसके लिये सम्बन्धित उत्तरदायी होगा।

(9) परिचारक (पुरुष + महिला) की सेवाए 'आउटसोर्स आफ सर्विसेज' के आधार पर जेम पोर्टल द्वारा सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सेवाओं को आउटसोर्स किये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

जाने हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन पारदर्शी रीति से सुसंगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) आउटर्सोसिंग के आधार पर कार्यवाही आउटसोर्सिंग मोड द्वारा कार्य कराये जाने की प्रक्रिया में आने वाले व्यय-भार तथा सेवा शर्तो के संबंध में आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज/मैन पॉवर के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यथा आवश्यकतानुसार आउटसोर्स कार्पोरेशन का परामर्श लेना चाहेंगे। इस संबंध में कार्य के औचित्य तथा वित्तीय व्यय भार एवं बजट व्यवस्था से भी स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

(11) इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक की ''अनुदान संख्या-32 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें एलोपैथी, 110-अस्पताल तथा औषधालय, 04-एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय के सुसंगत इकाईयों" के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-3-51/दस-2026-27, दिनांक 21 जुलाई, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रवि रंजन
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2-निदेशक(प्रशासन/चिकित्सा उपचार/स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3-निदेशक, मानसिक चिकित्सालय, बरेली/वाराणसी।
4-वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
5-सम्बन्धित, मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
6-सम्बन्धित अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
7-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त(वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2
8-चिकित्सा अनुभाग-7/8
9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवि रंजन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in